न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 3430–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–9–2015 – पारित व्दारा तहसीलदार बदरवास जिला शिवपुरी – प्रकरण कमांक /2014–15 अ–70

सीताराम शर्मा पुत्र भगवान लाल शर्मा
ग्राम मझारी तहसील बदरवास
परगना कोलारस जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी
2– तहसलदार बदरवास जिला शिवपुरी
3– हन्नूराम पुत्र पैमा जाटव ग्राम मझारी
तहसील बदरवास जिला शिवपुरी --अनावेदकगण

(श्री बिनोद श्रीवास्तव अभिभाषक – आवेदक)
(रिस्पा.क्र.1,2 के पैनल अभिभाषक श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(दिनांक 23 दिसम्बर, 2015)

तहसीलदार बदरवास जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक /2014–15 अ–70 में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 26–8–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी आदेश दिनांक 16–9–15 लिखते हुये प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मॅझारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 904 रकबा 0.380 हैक्टर का रिकार्डेड भूमिस्वामी अनावेदक

कमांक-3 हन्नूराम पुत्र पैमा जाटव है। इस भूमि पर टीकाराम पुत्र भगवान लाल व्दारा जबरन कब्जा कर लेने का तथ्य भूमिस्वामी व्दारा तहसीलदार बदरवास को अवगत कराने पर बेजा-कब्जाकर्ता टीकाराम पुत्र भगवान लाल को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत सुनवाई हेतु पेशी 16-9-15 नियत कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 26-8-2015 जारी किया गया, इसी नोटिस पर से आवेदक ने यह निगरानी आदेश दिनांक 26-9-15 अंकित करते हुये इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक एंव शासन के पैनल अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव कारण बताओ नोटिस के तथ्यों एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम मॅझारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 904 रकबा 0.380 हैक्टर का रिकार्डेड भूमिस्वामी अनावेदक कमांक-3 हन्नूराम पुत्र पैमा जाटव है, जिसकी भूमि पर टीकाराम पुत्र भगवान लाल व्दारा जबरन कब्जा करने का तथ्य बताने पर तहसीलदार बदरवास ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत सुनवाई हेतु पेशी 16-9-15 नियत कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 26-8-2015 जारी किया है। आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि यह भूमि अनावेदक क-3 की नहीं है अपितु आवेदक के चाचा बैजनाथ पुत्र भीकमचंद के स्वामित्व की है जो अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के प्रकरण कमांक 51/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-08 से प्रमाणित है। इस आदेश की छायाप्रति आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गई है और यह प्रकरण बटांकन के सम्बन्ध में है जिसके पद 5

में केवल सर्वे क्रमांक 903 बैजनाथ का होना बताया गया है जबकि सर्वे नंबर 904 का पटटा अनावेदक क्र-3 के हित में होना बताया गया है। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि नोटिस में त्रृटिपूर्ण तरीके से सीताराम के स्थान पर टीकाराम लिख दिया गया है जबकि उसका नाम सीताराम है। आवेदक को तहसीलदार के समक्ष इसे प्रकट किया जाना चाहिये था। तहसीलदार बदरवास ने आवेदक को केवल कारण बताओ नोटिस दिनांक 26-8-2015 जारी करके बचाव प्रस्तुत करने एंव सुनवाई करने के लिये पेशी 16-9-2015 को आहुत किया है आवेदक व्दारा यह नहीं बताया गया कि टीकाराम के स्थान पर सीताराम लिखने के सम्बन्ध में तथा अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में उसके व्दारा तहसीलदार व्दारा नोटिस में अंकित दिनांक 16-9-2015 को तहसीलदार को जवाव प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं ? जवाव प्रस्तुत प्रस्तुत करने अथवा न करने पर तहसीलदार व्दारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही क्या की गई है यह भी नहीं बताया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस निगरानी में तहसीलदार बदरवास जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण क्रमांक /14-15 अ-70 में पारित अंतरिम आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रकट नहीं होती। आवेदक व्दारा इस निगरानी में जो तथ्य बताये हैं उन सभी को प्रकट करने के लिये तहसीलदार न्यायालय में उसे अवसर उपलब्ध है। अतः निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर